

Indian Journal of Modern Research and Reviews

This Journal is a member of the 'Committee on Publication Ethics'

Online ISSN:2584-184X



Research Article

बिहार के अंचल कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार : भूमि विवाद का प्रमुख आधार।

नरेंद्र कुमार

Ph.D. शोधार्थी, लोक प्रशासन विभाग, वीर कुंवर सिंह विश्विद्यालय, आरा, बिहार, भारत

Corresponding Author: *नरेंद्र कुमार

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20502956>

सारांश

भूमि केवल आर्थिक संपत्ति नहीं है; यह पारिवारिक सुरक्षा, सामाजिक पहचान, कृषि-आधारित जीवन और स्थानीय शक्ति-संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। यही कारण है कि अंचल प्रशासन (दाखिल-खारिज, जमाबंदी, परिमार्जन, मापी, भू-लगान और भूमि अभिलेखों) नागरिकों के दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इस शोध-पत्र का उद्देश्य भूमि विवादों को जन्म देना या उन्हें तीव्र करना है। इसमें कथित रिश्वतखोरी, आवेदनों को लंबित रखना, अभिलेखों में अस्पष्टता, निर्णय बिना स्थल निरीक्षण, अनावश्यक लालफीताशाही और कमजोर जवाबदेही शामिल हैं। समाचार-रिपोर्टों और निगरानी कार्रवाई से स्पष्ट है कि स्थानीय स्तर पर विवेकाधिकार, बिचौलियापन, देरी और प्रशासनिक अनुत्तरदायित्व अभी भी गंभीर चुनौती बने हुए हैं, हालांकि बिहार भूमि पोर्टल, ऑनलाइन दाखिल-खारिज, RATPS, लोक शिकायत निवारण अधिनियम और भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण जैसे प्रयासों ने पारदर्शिता की दिशा में महत्वपूर्ण आधार बनाया है। बेगूसराय, सासाराम और अन्य स्थानों से प्रकाशित निगरानी कार्रवाइयों में भूमि मामलों से संबंधित रिश्वत के आरोपों ने इस मुद्दे को सार्वजनिक चर्चा का विषय बनाया है (Aaj Tak, 2025)। टाइम्स ऑफ इंडिया, 2025a) अध्ययन ने पाया कि भूमि विवादों को कम करने के लिए केवल डिजिटल पोर्टल पर्याप्त नहीं हैं; प्रत्येक भूमि सेवा के लिए समय-सीमा, कारणयुक्त आदेश, अनिवार्य स्थल निरीक्षण, सार्वजनिक पेंडेंसी डैशबोर्ड, सामाजिक निगरानी, प्रभावी अपील प्रणाली और अंचलाधिकारी की विधिक जवाबदेही आवश्यक हैं।

Manuscript Information

- ISSN No: 2584-184X
- Received: 02-04-2026
- Accepted: 26-05-2026
- Published: 31-05-2026
- MRR:4(5): 2026: 386-392
- ©2026, All Rights Reserved
- Plagiarism Checked: Yes
- Peer Review Process: Yes

How to Cite this Article

नरेंद्र कुमार. बिहार के अंचल कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार : भूमि विवाद का प्रमुख आधार। Indian Journal of Modern Research Review. 2026;4(5):386-392.

Access this Article Online



www.mrrjournal.in

मुख्य शब्द: अंचल कार्यालय; अंचलाधिकारी; भूमि विवाद; दाखिल-खारिज; जमाबंदी; भ्रष्टाचार; राजस्व प्रशासन; बिहार भूमि सुधार; लोक शिकायत; प्रशासनिक जवाबदेही।

प्रस्तावना

भूमि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्ति की आजीविका, सम्मान, सामाजिक स्थिति और पारिवारिक स्थिरता का मूल स्रोत रही है। बिहार जैसे कृषि-प्रधान और घनी आबादी वाले राज्य में भूमि अधिकारों की स्पष्टता सामाजिक स्थिरता और स्थानीय प्रशासन की स्थिरता से संबंधित है। नागरिकों और राज्यों के बीच पहला संपर्क-बिंदु अंचल कार्यालय है, जहाँ कई राजस्व मुद्दों का समाधान होता है, जैसे भू-

लगान, दाखिल-खारिज, जमाबंदी, परिमार्जन, मापी और प्रमाणपत्र। यही कारण है कि अंचल प्रशासन की कार्यकुशलता केवल राजस्व संग्रह नहीं है; इसमें नागरिक अधिकार, न्याय, सामाजिक विश्वास और सुशासन भी शामिल हैं।

बिहार में भूमि विवादों का एक महत्वपूर्ण कारण अभिलेखों की अस्पष्टता, पुराने रजिस्ट्रों की त्रुटियाँ, परिवारों के बीच बँटवारा, सीमा विवाद, अवैध कब्जा और दाखिल-खारिज में देरी है। जब इन

प्रक्रियाओं में रिश्त, बिचौलियापन या अनावश्यक विवेकाधिकार शामिल होता है, तो सामान्य प्रशासनिक आवेदन भी बहस, मुकदमेबाजी और सामाजिक तनाव में बदल सकता है। बिहार भूमि पोर्टल पर कई ऑनलाइन सेवाएँ उपलब्ध हैं, जैसे दाखिल-खारिज आवेदन, आवेदन की स्थिति, भू-लगान, जमाबंदी पंजी और LPC, लेकिन इन सेवाओं का असली प्रभाव तब ही मापा जा सकता है जब नागरिकों को समयबद्ध, पारदर्शी और कारणयुक्त निर्णय मिलते हैं (Department of Income and Land Reforms, Bihar, n.d.-a; Bihar Bhumii, hindi)

यह शोध-पत्र विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक तरीकों का उपयोग करता है। इसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार भूमि पोर्टल, RAPS अधिनियम, लोक शिकायत निवारण अधिनियम, निगरानी विभाग, विश्व बैंक के शासन संकेतक, DILRMP और हाल के समाचार पत्रों के आधार पर अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार और भूमि विवादों के संबंधों को समझने का प्रयास किया गया है। लेख में किसी भी व्यक्ति या पद को सामूहिक रूप से दोषी ठहराने के बजाय उस संरचनात्मक व्यवस्था का विश्लेषण किया गया है जिसमें विवेकाधिकार, देरी, अभिलेखीय त्रुटि और जवाबदेही की कमी नागरिकों को कमजोर बनाती हैं।

बिहार में भूमि प्रशासन की संरचना: बिहार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भूमि प्रबंधन, सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त, समेकन, अधिग्रहण, भूमि अभिलेखों और सर्वेक्षण से संबंधित प्रशासनिक कार्यों का प्रमुख विभाग है (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, n.d.-b)। भूमि प्रशासन जिला स्तर पर जिलाधिकारी और अपर समाहर्ता, अनुमंडल स्तर पर DCLR और अंचल स्तर पर अंचलाधिकारी द्वारा संचालित होता है। अंचलाधिकारी के अतिरिक्त राजस्व कर्मचारी, अमीन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कानूनगो और अन्य सहायक कर्मचारी अंचल कार्यालय में काम करते हैं। भूमि अधिकारों का प्रमाण, अभिलेख, सुधार या सरकारी मान्यता पाने के लिए आम तौर पर नागरिक इसी कार्यालय में आते हैं।

दाखिल-खारिज एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजस्व अभिलेखों में भूमि स्वामित्व या अधिकार में बदलाव को दर्ज किया जाता है। जमाबंदी राजस्व अभिलेख भू-लगान और मालिक से जुड़ा हुआ है। डिजिटिकृत या पारंपरिक अभिलेखों में हुई त्रुटियों को सुधार करना परिमार्जन है। मापी भूमि की वास्तविक सीमा और अधिग्रहण की जगह बताना है। भूमि अधिकारों और लेन-देन में भी भू-लगान और LPC महत्वपूर्ण प्रशासनिक सेवाएँ हैं। Bihar Bhumii पोर्टल इन सेवाओं को नागरिकों तक ऑनलाइन पहुँचाने का प्रयास करता है, जिससे दस्तावेजों की उपलब्धता और आवेदनों की निगरानी अपेक्षाकृत सरल होती है (Bihar Bhumii, nd)। Bihar revenue and land reforms department, n.d.-a)

सुशासन में कागजी अभिलेख से डिजिटल अभिलेख की ओर बदलाव एक महत्वपूर्ण कदम है; हालांकि, डिजिटल रिकॉर्ड केवल तब कामयाब होंगे जब वे वास्तविक राजस्व मानचित्र, स्थल निरीक्षण, पूर्ववर्ती अभिलेखों और विधिक अधिकारों से मेल खाते हैं। DILRMP को भारत सरकार ने विवादों को कम करने, भूमि अभिलेखों को आधुनिक बनाने और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए बनाया है (Department of Land Resources, 2025)। किंतु बिहार जैसे राज्य

में पुराने अभिलेख, पारिवारिक बँटवारे, अनौपचारिक कब्जे और स्थानीय प्रभाव डिजिटल सुधारों को मुश्किल बनाते हैं।

भूमि विवाद और अंचल कार्यालयों का संबंध: अभिलेखीय अधिकार और वास्तविक कब्जा अक्सर एक-दूसरे से मेल नहीं खाते। यदि किसी का नाम जमाबंदी में दर्ज है लेकिन वास्तविक कब्जा किसी अन्य के पास है, या यदि उत्तराधिकार या बिक्री के बाद दाखिल-खारिज समय पर नहीं होता, तो पक्षकारों के बीच अविश्वास बढ़ता है। ऐसे मामलों में अंचल कार्यालय पारदर्शी निर्णय देना है, जो अभिलेख, स्थानीय स्थिति, आपत्ति, सुनवाई और विधिक प्रक्रिया पर निर्भर करता है। जब देर से निर्णय लिया जाता है, अस्पष्ट कारणों से या कथित अनौपचारिक लेन-देन के दबाव में, विवाद और गहरा जाता है।

भूमि विवादों को बढ़ाने वाले सामान्य कारक में अस्पष्ट अभिलेख, लंबित आवेदन, गलत जमाबंदी, पारिवारिक बँटवारा, सीमा विवाद, अवैध कब्जा, मापी में देरी, बिना स्थल निरीक्षण दाखिल-खारिज निरस्त करना और कारणयुक्त आदेश का अभाव शामिल हैं। भूमि का मूल विवरण, रजिस्टर, खाता-खेसरा, नक्शा और पूर्ववर्ती अभिलेख अंचल कार्यालय के पास होने चाहिए; नागरिक के लिए प्रक्रिया अपारदर्शी और बोझिल हो जाती है अगर बार-बार वही अभिलेख माँगे जाते हैं। ऐसे हालात से अधिक प्रभावित होने वाले लोगों में गरीब, अशिक्षित, वृद्ध, महिलाएँ और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोग हैं।

Rule of law और corruption control शासन के महत्वपूर्ण पहलू हैं (World Bank, 2025)। भूमि प्रशासन में इन दोनों आयामों का विश्लेषण बहुत स्पष्ट है। भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कठोर कार्रवाई नहीं होती, भूमि रिकॉर्ड तक नागरिकों की समान पहुँच नहीं है, आवेदन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है, या निर्णय का कारण नहीं बताया जाता, तो कानून का शासन कमजोर दिखाई देता है। यही कारण है कि भूमि विवाद को सिर्फ निजी पक्षकारों की लड़ाई समझना अधूरा विचार है; इसके अलावा, यह स्थानीय प्रशासन की योग्यता का संकेत है।

अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार की शिकायतों में रिश्त, अनावश्यक देरी, बिचौलियों के माध्यम से संपर्क, अभिलेखों को उपलब्ध नहीं कराना, स्थल निरीक्षण से बचना और बिना स्पष्ट कारण आवेदन निरस्त करना शामिल हैं। समाचार रिपोर्टों और निगरानी कार्रवाइयों में अक्सर कहा गया है कि दाखिल-खारिज, जमाबंदी, परिमार्जन या मापी जैसे कार्यों में अनौपचारिक भुगतान की मांग की जाती है। ऐसे मामले अंतिम दोषसिद्धि नहीं हो सकते, लेकिन वे स्थानीय राजस्व प्रशासन में नागरिकों के विश्वास की समस्या को उजागर करते हैं।

क्लाइंट ने प्रशासनिक भाषा में पाँच श्रेणियाँ बताई हैं। पहले, बिचौलियापन और रिश्तखोरी; दूसरी ओर, विधिक प्रक्रियाओं, जैसे बिना स्थल निरीक्षण के फैसले की उपेक्षा; तीसरी, सूचना असमानता; इसका उदाहरण नागरिक से कार्यालय के पास मौजूद दस्तावेजों की मांग करना होगा; चौथी, अनियमितता, जैसे आवेदनों को रोकना; और पाँचवीं, नागरिक को भयभीत करना या उनसे कार्यालय में अपने विचार व्यक्त करने से रोकना। ये सभी तरीके नागरिक को अधिकारी के स्थान पर विनती करने वाला बनाते हैं।

भ्रष्टाचार की सबसे गंभीर कड़ी दाखिल-खारिज आवेदनों को लंबित रखना है। यदि आवेदन महीनों तक विफल रहता है, तो आवेदक को ऋण, सरकारी योजना, पारिवारिक बँटवारे या भूमि की बिक्री में कठिनाई महसूस होती है। ऐसे हालात में कथित रिश्त माँगने वालों को मौका मिलता है। भूमि विवाद में कागजी दावा और वास्तविक स्थिति

दोनों की जांच होनी चाहिए, इसलिए बिना स्थल निरीक्षण के अवैध दावों पर दाखिल-खारिज निरस्त करने का आरोप राजस्व न्याय की प्रक्रिया को कमजोर करता है।

लोक प्रशासन की नागरिक-केंद्रित अवधारणा के खिलाफ है कि जनता को कार्यालय में अपने अधिकारों के लिए बोलने नहीं देना या प्राथमिकी की धमकी देकर चुप करना। सरकारी कार्य में बाधा से संबंधित कानूनों का लक्ष्य हिंसा या अवैध अवरोध से प्रशासनिक कार्य को बचाना है; परंतु जवाबदेह शासन की भावना कमजोर होती है यदि किसी नागरिक की वैध आपत्ति, कारण पूछने का अधिकार या आवेदन की स्थिति जानने की मांग को ही अवरोध माना जाए। इसलिए अंचल कार्यालय में लिखित रसीद, सुनवाई का रिकॉर्ड, शिष्ट नागरिक संवाद और अपील की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए।

हाल के समाचार-पत्रों और निगरानी मामलों का विश्लेषण पिछले कुछ वर्षों में बिहार के अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया गया है। 2025 में बेगूसराय के डंडारी प्रखंड से रिपोर्ट आई कि निगरानी टीम ने अंचलाधिकारी और डाटा ऑपरेटर को दो लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया (Aaj Tak, 2025)। Amar Ujala, २०२५) भूमि विवाद और राजस्व अभिलेखों से जुड़े मामलों में नागरिकों को क्या डर लग सकता है, इस प्रकार की रिपोर्टें बताती हैं।

इसी तरह, 2025 की एक रिपोर्ट में सासाराम अंचल कार्यालय से संबंधित एक डाटा ऑपरेटर को ₹1.10 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा गया था। रिपोर्ट के अनुसार, मामला भूमि दाखिल-खारिज से संबंधित था और शिकायत में आरोप लगाया गया था कि संबंधित अंचलाधिकारी जानबूझकर प्रक्रिया को लंबित रख रहे थे (Times of India, 2025a)। राजस्व कार्यालयों में "फाइल रोककर दबाव" की शिकायत को समझने में यह एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।

Times of India की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2026 में बिहार की निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने अप्रैल तक 50 मामले दर्ज किए; रिपोर्ट में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को आठ गिरफ्तारों की सूची में पहला स्थान मिला, जबकि पुलिस विभाग को सात गिरफ्तारों की सूची मिली (Times of India, 2026a)। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि, हालांकि कुछ अनौपचारिक संदेशों में 51 मामले और पुलिस विभाग के 8 कैदियों का दावा किया गया है, उपलब्ध सत्यापित रिपोर्ट में 50 मामले और पुलिस विभाग के 7 मामलों का दावा किया गया है। इसलिए, इस अध्ययन में सिर्फ सत्यापित प्रकाशित संख्या प्रयोग की गई है।

जुलाई 2024 की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि बिहार में 90 से अधिक अंचलाधिकारी के खिलाफ विभागीय स्तर पर कुछ आरोपों में जांच चल रही थी और करीब तीन दर्जन अंचलाधिकारी हाल के आरोपों के कारण जांच के दायरे में थे (हिंदुस्तान, 2024)। यह संख्या प्रशासनिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि अंचलाधिकारी राजस्व न्याय और स्थानीय भूमि विवादों से सीधे जुड़े हैं। यदि विभागीय जांच की चर्चा इतने बड़े स्तर पर सार्वजनिक रूप से होती है, तो अंचल प्रशासन की संस्थागत विश्वसनीयता पर प्रश्न उठेगा।

14 अंचल अधिकारियों पर कार्रवाई की सूचना मई 2026 में बिहार सरकार ने दी थी, और मंत्री ने लापरवाही व भ्रष्टाचार पर सख्ती की बात कही (Navbharat Times, 2026)। उस समय भी राजस्व अधिकारियों की हड़ताल और आंदोलन से दाखिल-खारिज और

प्रमाणपत्र जैसी सेवाओं के प्रभावित होने की खबरें आईं; समाचार पत्र न्यू इंडिया एक्सप्रेस ने बताया कि सरकार ने कुछ कामों के लिए स्थायी विकल्प बनाए थे (New Indian Express, 2026)। भूमि प्रशासन में भ्रष्टाचार एकमात्र मुद्दा नहीं है, यह स्पष्ट है; सेवा-निरंतरता, प्रशासनिक अनुशासन और नागरिक अधिकार भी इसमें शामिल हैं।

जनवरी 2026 में, निगरानी ब्यूरो ने अदालतों को 2025 में लगभग ₹4.14 करोड़ की अवैध अर्जित संपत्ति जब्त करने के प्रस्ताव भेजे थे (Aaj Tak, 2026)। पुस्तक, Patna Press, 2026। यद्यपि ये मामले सीधे अंचल कार्यालयों से बाहर नहीं थे, लेकिन वे राज्य की भ्रष्टाचार-विरोधी नीति और संपत्ति-जब्ती जैसे कठोर उपायों की दिशा को दर्शाते हैं। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई प्रभावी मानी जाएगी जब वह कैदियों से आगे बढ़कर विभागीय दंड, आपराधिक अभियोजन, संपत्ति-जब्ती और सेवा-प्रदाय सुधार से जुड़ सके।

भूमि विवाद भ्रष्टाचार से कैसे बढ़ता है: कारण-परिणाम विश्लेषण: अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार से व्यक्तिगत आर्थिक क्षति नहीं होती। यह भी भूमि अभिलेखों और नागरिकों के बीच संबंधों को प्रभावित करता है। जब दाखिल-खारिज आवेदन लंबित रहता है, तो खरीदार और विक्रेता, सह-उत्तराधिकारी, पड़ोसी और कब्जाधारी सभी पक्ष असमंजस में रहते हैं। इस अनिश्चितता से अविश्वास उत्पन्न होता है, जो निजी संघर्ष, प्राथमिकी, दीवानी मुकदमा या स्थानीय तनाव का कारण बन सकता है।

कारण-परिणाम की इस श्रृंखला को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है: लंबित आवेदन, अस्पष्ट अभिलेख, पक्षकारों में अविश्वास, निजी संघर्ष, प्रशासनिक शिकायत, मुकदमेबाजी, एफआईआर या सामाजिक तनाव। अंचल कार्यालय समयबद्ध और कारणपूर्ण निर्णय देने से विवाद कम हो सकता है। इसके विपरीत, यदि कार्यालय निर्णय नहीं लेता या अपारदर्शी प्रक्रिया अपनाता है, तो बहस निजी पक्षकारों से हटकर प्रशासन की विश्वसनीयता पर आ जाती है।

भूमि विवादों में स्थल निरीक्षण बहुत जरूरी है। अभिलेख में दर्ज स्थिति और धरातल की स्थिति अक्सर अलग होती हैं। कमजोर पक्ष न्याय से वंचित हो सकता है अगर दाखिल-खारिज को बिना निरीक्षण या पक्षकारों को पर्याप्त सुनवाई दिए निरस्त या स्वीकृत कर दिया जाए। यही कारण है कि प्रशासनिक न्याय के लिए प्रत्येक विवादग्रस्त बदलाव या जमाबंदी सुधार में स्थल निरीक्षण रिपोर्ट, फोटो या जियो टैगिंग, पक्षकारों की उपस्थिति और कारणयुक्त आदेश आवश्यक हैं।

नागरिक अधिकार और प्रशासनिक जवाबदेही बिहार अधिनियम (2011) ने राज्य के नागरिकों को अधिसूचित लोक सेवाओं को समय सीमा के भीतर प्राप्त करने का अधिकार दिया (बिहार सरकार, 2011)। राजस्व सेवाओं सहित कई सरकारी सेवाओं को इस अधिनियम से "कृपा" के स्थान पर "अधिकार" माना जाएगा। ठीक उसी तरह, बिहार का 2015 का Right to Public Grievance Redressal Act भी शिकायतों और राहत/लाभ से जुड़े मामलों को जल्दी से हल करना चाहता है; नागरिक लोक शिकायत पोर्टल पर शिकायतों को ऑनलाइन, कॉल सेंटर या कार्यालयों में दर्ज कर सकते हैं (Bihar Government, 2015)। Bihar Public Grievance Redressal Portal, n.d।

भूमि प्रशासन में नागरिकों को कम से कम छह अधिकार होने चाहिए: समयबद्ध सेवा, कारणयुक्त आदेश, अपील, अभिलेखों तक पहुँच, लोक शिकायत निवारण और सार्वजनिक कार्यालय में सम्मानजनक

व्यवहार का अधिकार नागरिक को केवल आवेदन संख्या पर निर्णय का कारण नहीं मिलता है, तो प्रक्रिया पूरी नहीं होती। नागरिक को अपील का अधिकार होने पर भी सूचना नहीं दी जाएगी, तो अधिकार व्यावहारिक रूप से कमजोर हो जाएगा। जवाबदेही केवल दोषी अधिकारी को सजा देना नहीं है। यह बताता है

कि प्रत्येक आवेदन किस अधिकारी के पास कितने दिन तक रहा, विलंब का कारण क्या था, अपील कहाँ की जा सकती है और किन मामलों में स्वतः समीक्षा होगी—ये सारे डेटा सार्वजनिक हैं। यदि RTPS, बिहार भूमि और लोक शिकायत व्यवस्था को आपस में जोड़ा जाए, तो अंचल कार्यालयों की पेंडेंसी, स्वीकृति दर, आवेदन परिणाम और जनता की खुशी का वास्तविक विश्लेषण किया जा सकता है।

तुलनात्मक/विश्लेषणात्मक सारणी

समस्या	अंचल कार्यालय में प्रचलित शिकायत	भूमि विवाद पर प्रभाव	प्रशासनिक/विधिक समाधान
दाखिल-खारिज में देरी	आवेदन को बिना स्पष्ट कारण लंबित रखना	क्रेता/उत्तराधिकारी का अधिकार अनिश्चित रहता है	समय-सीमा, स्वतः reminder और penalty mechanism
रिश्वत की माँग	फाइल आगे बढ़ाने के लिए अनौपचारिक भुगतान का आरोप	नागरिकों में अविश्वास और बिचौलियापन बढ़ता है	Vigilance helpline, trap action, digital audit trail
स्थल निरीक्षण का अभाव	कागजी दावे पर निर्णय या आवेदन निरस्त	वास्तविक कब्जा और रिकॉर्ड में टकराव	अनिवार्य field inspection report और geo-tagged evidence
गलत जमाबंदी	नाम, खाता, खेसरा या रकबा में त्रुटि	परिवारिक और पड़ोसी विवाद बढ़ते हैं	Parimarjan camps, public verification और appeal
अभिलेखों की अनुपलब्धता	कार्यालय में मौजूद कागज भी आवेदक से माँगना	नागरिक पर अनावश्यक बोझ और देरी	Record room digitization और certified copy protocol
मनमाना rejection	कारण बताए बिना दाखिल-खारिज अस्वीकृत	मुकदमेबाजी और प्रशासनिक शिकायत बढ़ती है	Speaking order और appellate review
लालफीताशाही	बार-बार चक्कर, अलग-अलग काउंटर, अस्पष्ट प्रक्रिया	लागत और समय बढ़ता है	Single-window help desk और citizen charter
एफआईआर/धमकी की शिकायत	वैध प्रश्न को सरकारी कार्य में बाधा बताना	नागरिक अधिकार कमजोर और भय पैदा	Citizen hearing protocol और grievance recording
अपील की जानकारी का अभाव	नागरिक को remedy नहीं बताया जाता	गलत आदेश भी अंतिम जैसा प्रभाव डालता है	RTPS/BRPGRA display board और SMS-based appeal information

स्रोत: सरकारी पोर्टलों, अधिनियमों और हाल की समाचार-रिपोर्टों के आधार पर लेखक द्वारा संकलित (Bihar Bhumi, n.d.; Government of Bihar, 2011, 2015; Times of India, 2026a)।

सरकारी प्रयास और उनकी सीमाएँ

बिहार सरकार ने भूमि प्रशासन को डिजिटल और समयबद्ध बनाने के लिए बहुत कुछ किया है। Bihar Bhumi पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल-खारिज, आवेदन की स्थिति, भू-लगान, जमाबंदी पंजी, LPC और शिकायत के विकल्प हैं (Bihar Bhumi, nd)। Bihar revenue and land reforms department, n.d.-a) लोक शिकायत निवारण अधिनियम ने शिकायतों को कानूनी अधिकार दिया, जबकि RTPS अधिनियम ने समयबद्ध लोक सेवा का अधिकार दिया (Bihar Government, 2011, 2015)।

डिजिटलीकरण की ओर बढ़ते हुए, बिहार में Integrated Land Records Management System—Spatial Mutation Portal—के शुभारंभ की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि भूमि की खरीद, बिक्री या उत्तराधिकार के बाद राजस्व मानचित्र और अधिकार अभिलेखों को स्वचालित रूप से अपडेट करना होगा (Times of India, 2025b)। इसी तरह, "राजस्व महा अभियान" ने जमाबंदी में नाम, खाता संख्या और अन्य गलतियों को सुधारने के लिए विशिष्ट अभियान की जानकारी प्रकाशित की (Economic Times, 2025)। भूमि रिकॉर्ड की सटीकता और नागरिक संवाद सुधारने के लिए ये प्रयास महत्वपूर्ण हैं। लेकिन सरकारी कोशिशों की सीमा स्पष्ट है। नागरिक को वास्तविक न्याय नहीं मिलेगा अगर पोर्टल पर आवेदन किया गया है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर निरीक्षण नहीं हुआ, स्थिति ऑनलाइन दिखती है लेकिन कारण अस्पष्ट है, रद्द करने की वजह

सामान्य भाषा में नहीं है, या आवेदन प्रक्रिया प्रभावी नहीं है। बहुत से नागरिक डिजिटल साक्षरता, इंटरनेट, भाषा और दस्तावेज का ज्ञान नहीं होने के कारण स्वयं आवेदन नहीं कर पाते; यह बिचौलियों की भूमिका को बनाए रखता है।

भ्रष्टाचार-विरोधी कार्रवाइयाँ भी आवश्यक हैं, लेकिन जालसाजी के मामले पूरी व्यवस्था को नहीं बदलते। निगरानी के प्रस्ताव विभाग की गिरफ्तारी या संपत्ति-जब्ती को रोकते हैं, लेकिन सुधार तभी स्थायी होगा जब विभागीय समीक्षा, पेंडेंसी डैशबोर्ड, जनता की प्रतिक्रिया, ई-कार्यालय की निगरानी और निष्पादन-आधारित पदस्थापन लागू हों। DARPG और CPGRAMS के अनुभव से पता चलता है कि शिकायतों का समाधान नागरिक संतुष्टि और समाधान की गुणवत्ता से नहीं मापा जाना चाहिए (DARPG, 2025)। CPGRAMS, nd)

दूसरा पक्ष: ईमानदार अधिकारी और संस्थागत बंधन इस मुद्दे पर संतुलित दृष्टिकोण की जरूरत है। न तो यह सही है और न ही अकादमिक रूप से न्यायसंगत है कि सभी राजस्व कर्मचारी या अंचलाधिकारी भ्रष्ट हैं। बहुत से अधिकारी भारी कार्यभार, कम स्टाफ, राजनीतिक और सामाजिक दबाव, स्थानीय विवाद, जटिल न्यायालयी आदेश, फर्जी दस्तावेज और सुरक्षा संबंधी जोखिमों के बीच काम करते हैं। भूमि विवादों में पक्षकार अक्सर भावुक और आक्रामक होते हैं, जिससे कार्यालय-स्तर पर सुनवाई मुश्किल होती है।

कभी-कभी नागरिक भी प्रक्रिया को जटिल बनाते हैं, क्योंकि गलत दावे, पारिवारिक समझौते की कमी, फर्जी दस्तावेज या स्थानीय भूमि-माफिया का प्रभाव होता है। यही कारण है कि सुधार का लक्ष्य केवल

व्यक्तिगत कमियों को खोजने तक सीमित नहीं होना चाहिए। वास्तविक सुधार संस्थागत पुरस्कारों, पारदर्शी प्रक्रियाओं, अभिलेखीय शुद्धता, प्रशिक्षण, तकनीक, सामाजिक निगरानी और मजबूत अपील प्रणाली से संभव है।

ईमानदार कार्यसंस्कृति को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि अंचलाधिकारी निर्धारित समय में अधिकतम मामलों का कारणयुक्त निस्तारण करता है, विवादित मामलों में स्थल निरीक्षण करता है और नागरिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करता है, तो उसे प्रशंसा और पदस्थापन सुरक्षा मिलनी चाहिए। सकारात्मक उत्तरदायित्व और नकारात्मक दंड—दोनों मिलकर ही क्षेत्रीय प्रशासन को बेहतर बना सकते हैं।

भूमि विवाद और अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान केवल निगरानी कार्रवाई या डिजिटल पोर्टल नहीं होगा। इसके लिए तकनीकी पारदर्शिता, नागरिक अधिकार, विधिक जवाबदेही और सामाजिक नियंत्रण को एक साथ लाना होगा।

बिहार के संबंध में निम्नलिखित सुधार विशेष रूप से फायदेमंद हो सकते हैं:

- प्रत्येक अंचल कार्यालय में नागरिक चार्टर और सभी भूमि सेवाओं का समय-सीमा स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाए।
- दाखिल-खारिज, परिमार्जन, मापी, जमाबंदी सुधार और LPC के लिए application pendency dashboard जिला और अंचलवार सार्वजनिक करें।
- प्रत्येक अस्वीकृति में कारणयुक्त भाषण का आदेश दिया जाना चाहिए और नागरिक की भाषा में किया जाए।
- विवादित जमीन के मामलों में, स्थल निरीक्षण रिपोर्ट, पक्षकारों की उपस्थिति और geo-tagged चित्रों को इंटरनेट पर अपलोड करें।
- नागरिक निगरानी समिति या स्थानीय सामाजिक लेखा-परीक्षा प्रणाली बनाकर क्षेत्रीय कार्यालयों में सभ्य समाज और जन-नियंत्रण को बढ़ावा दें।
- वैध प्रश्न, कारण-पृच्छा और आवेदन-स्थिति पूछने के अधिकार की रक्षा करते हुए सरकारी कार्य में बाधा संबंधी प्रावधानों का दुरुपयोग रोके।
- जनता को अधिकारी से कारण-पृच्छा का व्यवहारिक अधिकार दिया गया; इसके लिए एक सार्वजनिक सुनवाई का दिन निर्धारित करना और एक लिखित पूछताछ-उत्तर प्रणाली बनाना चाहिए।
- भूमि विवादों के समयबद्ध प्राथमिक प्रशासनिक समाधान के लिए विधिक रूप से अंचलाधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाए।
- बिचौलियों को रोकने के लिए एक सिंगल-विंडो सहायता कक्ष, टोल-मुक्त सहायता, पंचायत-स्तरीय सहयोग और महिलाओं और बुजुर्गों की सहायता के counters स्थापित करें।
- देरी स्वतः शिकायतों को जन्म दे सकती है, इसलिए RTPS, Bihar Bhumi और Lok Shikayat portals को data sharing के माध्यम से जोड़ा जाए।
- विभागीय दंड, अभियोजन और सेवा-रिकॉर्ड को प्रभावित करना जिन मामलों में रिश्तत या उद्देश्यपूर्ण देरी का पता चला हो।

- अंचल कार्यालयों में CCTV, Visitor Management Register और Receipt-based Document Submission System लगाए जाएं।
- राजस्व कर्मचारी, डाटा ऑपरेटर और अमीन को नैतिकता, जमीन कानून, रिकॉर्ड प्रबंधन और नागरिक सेवा प्रशिक्षण देना चाहिए।
- स्थानीय निकायों और ग्रामसभाओं द्वारा भूमि रिकॉर्ड सुधार शिविर और सार्वजनिक जांच अभियान नियमित रूप से चलाए जाएं।

नीति-आधारित बिहार मॉडल: बिहार के लिए एक "पारदर्शी, समयबद्ध और उत्तरदायी अंचल प्रशासन मॉडल" बनाया जा सकता है। इसका पहला हिस्सा समय-बंधित सेवा प्रदान होगा, जिसमें प्रत्येक आवेदन पर अधिकतम समय-सीमा और देरी की जिम्मेदारी निर्धारित होगी। सामाजिक डिस्टले का दूसरा हिस्सा होगा, जहाँ लोग pending, disposed, rejected और appeal cases देख सकेंगे। निर्दिष्ट समय समाप्त होने पर शिकायत स्वतः उच्च अधिकारी के पास पहुँचेगी, जो तीसरा घटक होगा।

भूमि निरीक्षण मॉडल का चौथा हिस्सा है। विवादित जमीन के मामलों में निरीक्षण को प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए, न कि वैकल्पिक। जमाबंदी, नक्शा, परिवर्तन आदेश और पारिमार्जन रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में प्रमाणित करना पाँचवाँ घटक है। विलंब, गलत अस्वीकृति, गैर-बोलने के आदेश या शिकायतों के आधार पर अधिकारी की कार्यक्षमता की समीक्षा छठा घटक है।

प्रत्येक अंचल कार्यालय सप्ताह में कम से कम एक दिन लंबित भूमि मामलों की खुली सुनवाई करेगा, जो सातवाँ घटक Citizen Hearing Day होगा। Anti-corruption surveillance का आठवाँ हिस्सा निगरानी, जिला प्रशासन और सार्वजनिक जांच का समन्वय है। Digital audit trail का नौवाँ घटक है, जिसमें कोई भी file movement, document upload, order change या status update के लिए अधिकारी की पहचान और समय stamp दर्ज हो। दसवाँ हिस्सा सामाजिक निगरानी है, जिसमें अधिवक्ता, सामाजिक संगठनों, ग्रामसभाओं और नागरिक प्रतिनिधियों की रचनात्मक निगरानी होती है।

मूल्यांकन संकेतक और कार्यान्वयन रोडमैप में सुधार—योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए चरणबद्ध कार्यान्वयन मार्गदर्शिका आवश्यक है। पहले, प्रत्येक अंचल कार्यालय की वर्तमान पेंडेंसी, उपलब्ध मानव संसाधन, डिजिटल अवसंरचना, औसत निस्तारण समय और नागरिक शिकायतों का खुला सर्वेक्षण होना चाहिए। दूसरे चरण में, सभी भूमि सेवाओं को स्पष्ट सेवा मानकों से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक आवेदन को एक विशिष्ट ट्रेकिंग संख्या, अधिकारी-स्तर, समय-सीमा और आवेदन-लिंक दिया जाएगा। तीसरे चरण में हर महीने की समीक्षा संख्या-आधारित बर्बादी पर नहीं आधारित होगी; इसके बजाय, विलंब की वजहों, प्रतिक्रिया की गुणवत्ता, आवेदन के परिणामों और जनता की खुशी पर भी विचार होगा।

मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित मापनीय सूचक बनाए जा सकते हैं: विभिन्न अंचल कार्यालयों के खिलाफ प्राप्त भ्रष्टाचार/विलंब शिकायतों की संख्या, औसत mutation disposal time, 30 दिन से अधिक लंबित आवेदनों का प्रतिशत, बिना कारण बताए लौटाए गए

आवेदनों का प्रतिशत, अदालत में उलटे गए आवेदनों का प्रतिशत, शिकायतों को हल करने का समय और नागरिक समाज, मीडिया और विभागीय नेतृत्व स्थानीय प्रशासन की वास्तविक स्थिति को समझ सकेंगे अगर ये संकेत सार्वजनिक होंगे।

DCLR, अपर समाहर्ता और जिलाधिकारी को जिला प्रशासन के स्तर पर अग्रिम निगरानी की भूमिका भी मिलनी चाहिए। प्रत्येक माह, सबसे अग्रणी मांगों, सबसे अधिक नकारात्मक मांगों और बार-बार शिकायतों वाले मांगों की विशेष समीक्षा करें। जिन मामलों में एक ही अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ बार-बार समान शिकायतें आएँ, वहाँ निगरानी की जांच से पहले विभागीय सलाह, निरीक्षण और दस्तावेज़ की जांच शुरू होती है। यह प्रणाली ईमानदार अधिकारियों को भी सुरक्षित रखेगी क्योंकि स्पष्ट फाइल ट्रेक गलत आरोपों से बच सकता है।

अंतिम लक्ष्य इस मार्गदर्शन का है कि नागरिक को "कार्यालय खोजने" से "अधिकार प्राप्त करने" की ओर ले जाए। अंचल कार्यालय सेवा-केंद्रित बनेगा अगर नागरिक आवेदन कर सकते हैं, स्टेटस देख सकते हैं, देरी का कारण जान सकते हैं, आदेश पढ़ सकते हैं, अपील कर सकते हैं और सुरक्षित रूप से भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। ऐसे मॉडल में तकनीक, सामाजिक निगरानी और कानून की जिम्मेदारी एक-दूसरे के पूरक होंगे, नहीं प्रतिस्थापन होंगे।

निष्कर्ष बिहार के क्षेत्रीय कार्यालयों में भ्रष्टाचार केवल व्यक्तिगत नैतिकता नहीं है; भूमि रिकॉर्ड, देरी, विवेकाधिकार, बिचौलियापन, कमजोर जवाबदेही और नागरिकों की प्रशासनिक निर्भरता इसकी मूल समस्या हैं। भूमि विवादों को हल करने में अंचल कार्यालय की भूमिका महत्वपूर्ण और प्रारंभिक है। नागरिक न्यायालय, पुलिस और निजी संघर्ष की ओर धकेला जाता है अगर आवेदन यहीं पर लंबित रहते हैं, अभिलेख अस्पष्ट हैं, स्थल निरीक्षण नहीं होता है, या निर्णय का कारण नहीं बताया जाता है।

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि बिहार ने RTPS, लोक शिकायत निवारण, बिहार भूमि पोर्टल, ऑनलाइन दाखिल-खारिज और भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। समाचार रिपोर्टों और निगरानी कार्रवाइयों से पता चलता है कि स्थानीय स्तर पर देरी और भ्रष्टाचार अभी भी जारी हैं। इसलिए सुधार का अगला कदम केवल ऑनलाइन आवेदन नहीं, बल्कि ऑनलाइन उत्तरदायित्व होना चाहिए।

भूमि विवादों को कम करने के लिए पारदर्शी अभिलेख, समयबद्ध सेवाएँ, कारणयुक्त आदेश, प्रभावी अपील, अनिवार्य स्थल निरीक्षण, नागरिक सम्मान, जन-निगरानी और कठोर भ्रष्टाचार-विरोधी कार्रवाई चाहिए। अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारियों को शांत लेकिन कर्तव्यपूर्ण वातावरण मिलना चाहिए। वास्तव में अंचल प्रशासन को सुशासन का आधार कहा जा सकता है जब नागरिकों को अनावश्यक चक्कर लगाने, रिश्वत लेने और अनावश्यक बिचौलियाओं से भूमि सेवा मिलेगी।

संदर्भ सूची

1. Aaj Tak. Begusarai CO data operator caught taking bribe . 2025 Sep 9. Available from: <https://www.aajtak.in/bihar/story/begusarai-co-data-operator-caught-taking-bribe-lclar-strc-2329257-2025-09-09>
2. Aaj Tak. Bihar Vigilance Bureau moves to seize assets of corrupt officials. 2026 Jan 6. Available from: <https://www.aajtak.in/bihar/story/bihar-vigilance-bureau-moves-to-seize-assets-of-corrupt-officials-in-major-cracks-down-on-corruption-ntc-rpti-2431711-2026-01-06>
3. Amar Ujala. Bihar vigilance team arrested CO and data entry operator in Begusarai. 2025 Sep 9. Available from: <https://www.amarujala.com/bihar/munger/bihar-news-vigilance-team-arrested-co-and-data-entry-operator-to-taking-bribe-begusarai-bihar-police-2025-09-09>
4. Government of Bihar. Bihar Bhumi homepage: the gateway to Revenue Bihar. Patna: Government of Bihar. Available from: <https://biharbhumi.bihar.gov.in/>
5. Government of Bihar. Bihar Right to Public Grievance Redressal System [Internet]. Patna: Government of Bihar. Available from: <https://lokshikayat.bihar.gov.in/>
6. Government of India. Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System (CPGRAMS). New Delhi: Government of India. Available from: <https://pgportal.gov.in/>
7. Department of Administrative Reforms and Public Grievances. Public grievances and CPGRAMS reforms [Internet]. New Delhi: Government of India; 2025. Available from: <https://darpg.gov.in/en/public-grievances>
8. Department of Land Resources. Digital India Land Records Modernization Programme. New Delhi: Government of India; 2025. Available from: <https://dolr.gov.in/programmes-schemes/dilrmp-2/>
9. Economic Times. Bihar government launches campaign to correct land records on Bihar Bhumi portal [Internet]. 2025 Aug 21. Available from: <https://economictimes.indiatimes.com/wealth/save/bihar-land-record-big-update-govt-launches-campaign-to-correct-names-khata-numbers-and-other-info-online-on-bihar-bhumi-portal/articleshow/123430260.cms>
10. Economic Times. Bihar launches Bhumi Sudhar Jan Kalyan Samvad to fast-track land dispute resolution. 2026 Jan 5. Available from: <https://m.economictimes.com/news/politics-and-nation/bihar-launches-bhumi-sudhar-jan-kalyan-samvad-to-fast-track-land-dispute-resolution-deputy-cm-vijay-kumar-sinha/articleshow/126350487.cms>
11. Government of Bihar. The Bihar Right to Public Services Act, 2011. Patna: Government of Bihar; 2011. Available from: https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/bihar/2011/2_011Bihar4.pdf
12. Government of Bihar. The Bihar Right to Public Grievance Redressal Act, 2015. Patna: Government of Bihar; 2015. Available from: https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/bihar/2015/2_015%20Bihar%2019.pdf
13. Hindustan. Nitish government to confiscate corrupt circle officers' property; inquiry against 90 COs [Internet]. 2024 Jul 2. Available from: <https://www.livehindustan.com/bihar/story-nitish-government-to-confiscate-corrupt-circle-officers-property-investigation-going-on-against-90-cos-10358535.html>

14. Navbharat Times. Bihar minister takes action against 14 circle officers of Revenue and Land Reforms Department. 2026 May 27. Available from: <https://navbharattimes.indiatimes.com/state/bihar/patna/bihar-minister-dilip-jaiswal-suspended-14-circle-officers-of-revenue-and-land-reforms-department/articleshow/131348133.cms>
15. New Indian Express. Bihar revenue officers call off month-long strike; to resume work from May 4. 2026 Apr 30. Available from: <https://www.newindianexpress.com/states/bihar/2026/Apr/30/bihar-revenue-officers-call-off-month-long-strike-to-resume-work-from-may-4>

Creative Commons License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License. This license permits users to copy and redistribute the material in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and the source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted.

About the Corresponding Author



नरेंद्र कुमार लोक प्रशासन विषय के शोधार्थी हैं तथा वर्तमान में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार) के लोक प्रशासन विभाग में पीएच.डी. अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। उनकी शैक्षणिक रुचि सुशासन, लोक नीति, प्रशासनिक सुधार, ई-गवर्नेंस एवं ग्रामीण विकास से संबंधित विषयों में है। वे विभिन्न शोध एवं अकादमिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से संलग्न हैं।